उत्तर प्रदेश शासन

स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन

(नियोजन विभाग)

संख्या-02/2023(948/23)/3/4/35-एस0टी0सी0-2/2022-26

लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मदवार प्राविधानित धनराशि रूपये-1286.70 लाख ((रूपये-बारह करोड छियासी लाख सत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-05-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन के अन्र्तगत विभिन्न मानक मदों में स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन को रूपये-1238.43 लाख (रूपये-बारह करोड अडतिस लाख तैंतालिस हजार मात्र) एवं 04 सियाड (आजमगढ,एटा,फतेहपुर,सहारनपुर) जनपदों हेतु रू0-48.27 लाख (रूपये-अडतालिस लाख सत्ताइस हजार मात्र) राजस्व पक्ष में (मतदेय/भारित) के समक्ष नीचे उल्लिखित तालिकानुसार वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 04-सियाड जनपदों हेतु स्वीकृत आय-व्ययक धनराशि
01	02	03	04	05
	05-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन	**(राजस्व पक्ष)**		
01	वेतन	600.00	567.00	33.00
03	मंहगाई भत्ता	270.00	256.50	13.50
04	यात्रा व्यय	6.00	6.00	-
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20	-
06	अन्य भत्ते	14.00	13.95	0.05
07	मानदेय	6.00	6.00	-
08	कार्यालय व्यय	9.00	9.00	-
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.00	2.00	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00	-
13	टेलीफोन पर व्यय	4.50	4.50	-
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	22.00	22.00	
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	220.00	220.00	-
18	प्रकाशन	3.00	3.00	-
42	अन्य व्यय	16.00	16.00	-
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00	-
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00	-
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफटवेयर का क्रय	20.00	20.00	-
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00	-
49	चिकित्सा व्यय	12.00	12.00	-
51	वर्दी	2.00	2.00	-
55	मकान किराया भत्ता	45.00	43.28	1.72
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9.00	9.00	-
	योग-	**1286.70**	**1238.43**	**48.27**

(रूपये-बारह करोड अडतिस लाख तैंतालिस हजार मात्र)

1- उक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आार्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-05-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक- 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

डा0 संजीव भारद्वाज
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2023(948/23)/3/4/35-एस0टी0सी0-2/2022-26, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक- 17 मार्च, 2023 के संबंध में ।

6- अनुभाग अधिकारी, नियोजन (लेखा) अनुभाग ।

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- आहरण वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन।

10- नियोजन अनुभाग-1

11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।